



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4214]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 4214]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4716(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. २८५३(अ), तारीख ७ अगस्त २०१९ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड ३, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या ३५३J के कि.मी. ०/००० से कि.मी. ५३/७१९ (मोर्शी चांदूरबाजार अचलपूर) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा, चार/दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन तारीख १८.९.२०१९ और १७.९.२०१९ को "प्रतिदिन अखबार" और "विदर्भ मतदार" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३घ की उपधारा (२) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग मोर्शी चांदूरबाजार अचलपूर संख्या ३५३J के कि.मी. ०/००० से कि.मी. ५३/७१९ के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अमरावती			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मोर्शी				
	गांव का नाम: आष्टेगाव				
1	33	निजी	एग्रीकल्चर	0.51	राजेश मनोहर पडोळे (३३)
2	34/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.4	अजय बापुराव ढोरे (३४/१)
3	34/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.13	सुभाष जानराव भगत (३४/२)
4	34/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	हरिश्चंद्र जानराव भगत, सौरभ बाळू भगत, सविता बाळू भगत, तनुजा बाळू भगत (३४/२)
5	49/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.12	सुभाष जानराव भगत, हरिश्चंद्र जानराव भगत, सौरभ बाळू भगत, सविता बाळू भगत, तनुजा बाळू भगत (४९/१)
6	72	निजी	एग्रीकल्चर	0.32	प्रभाकर परसराम इंगळे (७२)
7	73	निजी	एग्रीकल्चर	0.14	घनश्याम गुलाबराव पांचाळे (७३)
			कुल	1.63	

[फा. सं. RW/NH-12014/107/2016-MAH-P6/3D1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2019

S.O. 4716(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 2853(E), dated 07 August 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/four/two laning with paved shoulder etc), Maintenance, management and operation of National Highway 353J on the stretch of land from Km 0/000 to Km 53/719 (Morshi Chandurbazar Achalpur) in the district of AMRAVATI in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Pratidin Akhbar” and “Vidarbha Matdar” on dated 18.9.2019 & 17.9.2019 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for widening/two laning etc from Morshi Chandurbazar Achalpur (km 0/000 to 53/719) of NH353J in the district of AMRAVATI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: AMRAVATI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Morshi				
	Village: Ashtegaon				
1	33	Private	Agriculture	0.51	Rajesh Manohar Padole 33
2	34/1	Private	Agriculture	0.4	Ajay Bapurao Dhore 34/1
3	34/2	Private	Agriculture	0.13	Subhash Janrao Bhagat 34/2
4	34/2	Private	Agriculture	0.01	Harishchandra Janrao Bhagat ,Saurabh Balu Bhagat ,Savita Balu Bhagat ,Tanuja Balu Bhagat 34/2
5	49/1	Private	Agriculture	0.12	Subhash Janrao Bhagat,Harishchandra Janrao Bhagat , Saurabh Balu Bhagat ,Savita Balu Bhagat,Tanuja Balu Bhagat 49/1
6	72	Private	Agriculture	0.32	Prabhakar Parasram Ingle 72
7	73	Private	Agriculture	0.14	Ghanshyam Gulabraw Panchale 73
			TOTAL	1.63	

[F. No. RW/NH-12014/107/2016-MAH-P6/3D1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.